International Journal of Advanced Education and Research
ISSN: 2455-5746
Impact Factor: RJIF 5.34
www.alleducationjournal.com
Volume 3; Issue 5; September 2018; Page No. 59-63

रीवा नगर निगम कार्यालय में कामकाजी महिलाओं के परिस्थितियों का अध्ययन

नागेन्द्र कुमार वर्मा[1], डॉ0 गायत्री मिश्रा[2]
[1] शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा, मध्य प्रदेश, भारत
[2] प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान विभाग, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा, मध्य प्रदेश, भारत

सारांश
अध्ययन क्षेत्र में कार्यशील महिलाओं की आर्थिक दशाओं में कमी का मूल्यांकन पारिवारिक संरचना के अध्ययन से ही संभव है, परिवार मे कार्यशील महिला की भूमिका माँ एवं पत्नी के रूप में अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है। पुरूष एवं महिला को प्राप्त आर्थिक एवं नैतिक अधिकार व्यवहारिक स्वरूप परिवार के व्यवस्थापात्मक क्रियाकलापों में प्रगट होती है। कार्यशील महिलाओं को पारिवारिक संरचना में लैंगिक असमानता के व्यावहारिक स्वरूप से अन्तःक्रिया करनी पड़ती है, घर–परिवार में आधारभूत आवश्यकताओं जैसे–भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य सुविधाओं, शिक्षा, समाज की देख रेख में पुरूषों की अपेक्षा महिलाओं को अपेक्षाकृत कम अवसर सुलभ हो पाता है। संसाधन संग्रह, पुनर्वितरण में असमानता, बच्चों के लिए पौष्टिक आहार, खाने पीने की सामग्री आदि की जिम्मेदारी निर्धन पारिवारिक दशाओं अथवा आर्थिक दृष्टि से कमजोर पारिवारिक दशाओं में पिता की अपेक्षाकृत माता की आय पर बच्चों की निर्भरतायें ऐसे कुछ परिस्थितियां है जो परिवार के अन्दर ही मूल्यांकित किए जाते हैं।
आजादी के बाद महिला शिक्षा के मामले में गुणात्मक सुधार हुए किन्तु इसे किसी भी दृष्टिकोण से संतोषजनक नहीं कहा जा सकता है, वस्तुतः अध्ययन क्षेत्र में कार्यशील महिला शिक्षा की प्रगति बहुत ही धीमी गति से हुई है। रीवा नगर में कई ऐसे सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक कारण है जिसके कारण महिलाएं शिक्षा प्रणाली में भाग नहीं ले पाती अध्ययन क्षेत्र में लड़के और लड़कियों के संदर्भ में प्रचलित सांस्कृतिक मामलों तथा घरेलू कार्यो व प्रजनन में महिलाओं की भूमिका के कारण भी महिला शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पाया गया है।
अध्ययन क्षेत्र में कामकाजी महिलाओं में बालविवाह एवं कुप्रथा की समस्या का प्रमुख कारण श्रमिकों में अशिक्षा और अज्ञानता की समस्या, निर्धनता की समस्या से भी अधिक खतरनाक है क्योंकि निर्धन व्यक्ति यदि शिक्षित एवं ज्ञानयुक्त होता है तो वह अपने अधिकारों, कर्तव्यों एवं कल्याण के प्रति सजग एवं जागरूक होता है। वह अपना हित अनहित स्वयं जानता है और तदनुरूप कार्य एवं व्यवहार करता है किंतु यह अत्यन्त चिंताजनक एवं शर्मनाक बात है कि स्वतंत्रता प्राप्त हुए लगभग 70 वर्ष (सात दशक) व्यतीत हो जाने के बाद भी केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों ने निर्धन एवं आर्थिक रूप से परेशान लोगों को सामान्य रूप से शिक्षित एवं जागरूक भी नहीं बना सकी। भले ही अदेश आर्थिक, राजनैतिक एवं कीर्तिमान स्थापित करने के मामले में अग्रसर हो रहा हो किंतु जब तक विकास एवं समृद्धि में समाज के प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति एवं देश का हर एक नागरिक समान रूप से भागीदार नहीं हो जाता तब तक किसी क्षेत्र के लिए सारे विकास कार्य एवं कीर्तिमान कोरी कल्पना के समान है।

मूल शब्द: रीवा नगर निगम, कार्यालय, कामकाजी महिलाएँ, परिस्थितियाँ

प्रस्तावना
वर्तमान युग में नगरीय क्षेत्रों एवं ग्रामीण क्षेत्रों उक्त दोनों भागों मे महिलाओं की भागीदारी आर्थिक क्षेत्र में निरन्तर बढ़ रही है, कामकाजी महिलाओं ने आर्थिक स्थिति को मजबूत करने एवं श्रम बाजार की आंतरिक संरचना को आंदोलित किया है, समाज में कार्यशील महिलाओं की आर्थिक विकास की प्रक्रिया में श्रम, श्रम मूल्य और श्रमिकों की उपादेयता सिद्ध हो रही है। कामकाजी महिलाओं का श्रम मानवीय समाज का महत्वपूर्ण अंक है, जिसके फलस्वरूप समाज में आर्थिक व सांस्कृतिक मूल्यों का निर्वाहन होता है, साथ ही आर्थिक संरचना की प्रक्रिया का विकास संभव होता है।[1]
कामकाजी महिलाओं का प्रत्येक समाज में एक विशेष सुनिश्चित स्थान होता है किंतु पुरूष प्रधान अथवा पुरूषों के इस वर्चस्ववादी समाज में पुरूषों की सामाजिक, आर्थिक परिस्थिति के आधार पर महिलाओं की प्रस्थिति का मूल्यांकन और मूल रूप से उनके अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व की यथास्थिति पर प्रश्न चिन्ह लगा देता है। कामकाजी महिला श्रमशक्ति द्रुत गति से बढ़ रही है, फिर भी पुरूषों की अपेक्षा महिला श्रम की सहभागिता कुछ क्षेत्रों में काफी कम है।
शिक्षा को किसी भी वर्ग के विकास का पैमाना माना जा सकता है, प्रायः यह देखा गया है कि अधिक शिक्षित लोग अधिक विकसित होते हैं, ऐसा भी विभिन्न क्षेत्रों के मामले में होता है। वही क्षेत्र विकास की दृष्टिकोण से आगे है, जहां शिक्षा का उच्च स्तर एवं शैक्षणिक स्थिति सुदृढ़ है। शिक्षा की दृष्टिकोण से पिछड़े हुए क्षेत्र विकसित क्षेत्रों की तुलना में काफी पीछे हैं, वे अपना स्थान नहीं बना पाये हैं। अतः इसका एक प्रमुख कारण यही है कि हमारे यहां शिक्षा का प्रचार–प्रसार अत्यन्त न्यून है। विशेषकर महिलाओं के मामले में स्थिति और गंभीर है। किसी क्षेत्र विशेष के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक विकास के लिए शिक्षा का विकास एवं उच्च शैक्षणिक स्थिति होना अति आवश्यक है। क्योंकि चाहे हम राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक व वैज्ञानिक विकास की बात करें या हर प्रकार के विकास के लिए शिक्षा का होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए हम महिला राजनीति की बात करें तो भारतीय राजनैतिक आकाश में महिलाओं की संख्या लगभग नगण्य पाई गयी है यद्यपि महिलाओं की राजनीति में भागीदारी पायी गई है किंतु महिलाओं की सत्ता में भागीदारी संतोषप्रद नहीं है। पंचायतों में 33

प्रतिशत आरक्षण के सहारे जो महिला जनप्रतिनिधि निर्वाचन में चुनकर आती है वे राजनीति में कुछ खास नहीं कर पा रही है, अधिकाशंतः पंचायतों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के स्थान पर उनके पुरूष रिश्तेदार ही राजनीतिक समीकरण हल करते हैं। यह दुर्दशा इसलिए है क्योंकि हमारे यहां महिलाओं के बीच शिक्षा का प्रचार–प्रसार बेहद न्यूनतम स्तर का है जब महिलाएँ शिक्षित ही नहीं है तो हम उनके बेहतर कल की कल्पना भी कैसे कर सकते हैं। महिलाओं की शैक्षणिक समस्याएँ एक बड़ी बाधा है।[2]

यद्यपि शैक्षणिक समस्याओं के चलते कामकाजी महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं है, अशिक्षा निरक्षरता के चलते कामकाजी महिलाएं, उत्पीड़न एवं शोषण की शिकार होती है। वे मेहनत तो पूरी लगने से करती है किंतु आर्थिक नियोजन में कामकाजी महिलाओं की कोई भागीदारी नहीं होती है। नगरों में कामकाजी महिलाओं की बात अगर हम छोड़ दें तो अधिकांश ग्रामीण अंचल की कामकाजी महिलाएँ स्वतंत्र रूप से कोई भी निर्णय नहीं ले सकती है। क्योंकि उनके पास कोई ठोस आर्थिक समृद्धि का स्त्रोत नहीं है, नगरों में कार्यशील असंगठित क्षेत्र की महिलाओं की समस्या और अधिक गंभीर है। इन सभी समस्याओं की एक प्रमुख जड़ अशिक्षा, निरक्षरता, शिक्षा के स्तर में कमी, महिलाओं की शिक्षा में बाधा आदि प्रमुख है।

अध्ययन क्षेत्र में बाल विवाह जैसी कुप्रथा आज भी समाज में समाप्त नहीं हो पायी है। यद्यपि विवाह एक ऐसा अटूट बन्धन है, जो कभी तोड़ा नही जा सकता है, और विवाह एक ऐसा बन्धन जो हमेशा–हमेशा के लिए होकर जन्म जन्मांतर तक का बन्धन है, यानि एक बार अगर किसी व्यक्ति का विवाह किसी के साथ हो गया है तो वह विवाह जन्म–जन्मान्तर तक कायम रहेगा। व्यवहार में देखा गया है कि पत्नी की मौत पर पति तो शीघ्र ही दूसरा विवाह कर लेता है लेकिन जब पति की मृत्यु हो जाती है तो पति की चिता पर पत्नी को सती होना पड़ता था, उसे जीवन पर्यन्त विधवा के रूप में समाज परिवार और आम जनता से तिरस्कृत एवं यातनामय, दुखी जीवन व्यतीत करना पड़ता था। वह किसी अच्छे कार्य में भोज्य में खुशी के अवसरों पर अथवा अन्य आयोजनों पर शामिल नहीं हो सकती थी। उसे एक कमरे की चार दीवारी में सम्पूर्ण सफेद अथवा काले वस्त्र पहनकर एकाकी जीवन व्यतीत करना पड़ता था, इस प्रथा का सर्वप्रथम राजा राममोहन राय ने जमकर विरोध किया एवं सती प्रथा पर रोक लगाने में काफी हद तक सफलता भी प्राप्त की, इस हेतु वे प्रिवी कौंसिल तक गये किन्तु हार नहीं मानी। उन्होंने विधवाओं का आहवान किया। विधवाओं को भी अपना सम्पूर्ण जीवन खुशी हर्षोल्लास एवं पवित्रता के जीवन के साथ जीने का एवं पुनर्विवाह पुरूषों की तरह ही करने का अधिकार है, अगर हम सती शब्द के अर्थ को समझने की कोशिश करे तो हम पायेंगे कि सती का अर्थ पति की चिता पर अपने आप को नष्ट करना नहीं होकर सत्य पर दृढ़ रहने वाली स्त्री अथवा पत्नी से है।[3]

यद्यपि अध्ययन क्षेत्र की कामकाजी महिलाएं भी बाल–विवाह जैसी कुप्रथा अथवा अल्प आयु में विवाह की समस्या का शिकार दृष्टिगोचर हुई है, यद्यपि पहली बार सन् 1929 में बाल विवाह पर रोक लगाने हेतु एक अधिनियम पारित किया गया जिसे पूर्ण रूप से प्रयोगात्मक रूप देने एवं उसके प्रावधानों का शक्ति के साथ पालन किए जाने के उद्देश्य से सन् 1978 में व्यापक संशोधन किए गये और इस संशोधित अधिनियम द्वारा 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के एवं 18 वर्ष से कम आयु की लड़की के विवाह पर प्रतिबन्ध लगाया गया था, हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 5(3) के तहत विवाह होने के लिए लड़के की उम्र 21 वर्ष एवं लड़की की उम्र 18 वर्ष होना एक आवश्यक शर्त भी है। बाल विवाह अवरोध अधिनियम की धारा 3 के तहत अगर कोई 18 वर्ष का लड़का जिसने की 21 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है, अगर किसी 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की से अथवा अन्य से विवाह करता है, तो उसे 15 दिन तक की सजा दी जा सकेगी। धारा 4 के तहत अगर कोई 21 वर्ष का लड़का 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ शादी करता है तो उसे तीन माह तक की सजा एवं जुर्माना अथवा दोनों ही प्रकार के दण्ड से दण्डित किया जा सकता है। धारा 5 के तहत अगर कोई व्यक्ति बाल विवाह संस्कार सम्पन्न कराने में शामिल हो अथवा विवाह निर्धारित आयु से कम हो ऐसे मामले मे उसे तीन माह तक की सजा दी जा सकती है। साथ ही बाल विवाह अथवा अवयस्क लड़का–लड़की की शादी कराने वाले पण्डित को भी बाल विवाह निषेध कानून के तहत सजा देने का प्रावधान निश्चित किया गया है, धारा 6 के तहत अवयस्क लड़का एवं लड़की के माता–पिता अथवा संरक्षक भी बाल विवाह व अवयस्क की शादी कराने पर तीन माह तक की सजा भुगतने के भागीदार होंगे। सबसे रोचक बात तो यह है कि धारा 6 के तहत इस अधिनियम द्वारा महिलाओं को पूर्ण रूप से छूट प्रदान की गई है, महिलाओं को किसी भी प्रकार के कारावास की सजा नहीं दने का प्रावधान बनाया गया है। दूसरे शब्दों में कम उम्र में अपना बाल विवाह करने में लड़कों को बाल विवाह कानून में दोषी नहीं माना गया है।[4]

आर्थिक दशाओं की कमी

कामकाजी महिलाओं के संदर्भ में किए गये अध्ययन में पाया गया है कि इनके आर्थिक दशाओं की गतिविधि तीव्र नहीं है, महिलाओं की आर्थिक परिस्थिति और जीवनशैली में सुधार बहुत मंद गति से हो रहा है। अध्ययन क्षेत्र रीवा नगर निगम क्षेत्र की कामकाजी महिलाओं की आर्थिक परिस्थितियों का निरूपण अथवा सामान्यीकरण करने से स्पष्ट हुआ कि महिलाओं की आर्थिक स्थिति दयनीय है।

नगर निगम क्षेत्र मे कामकाजी महिलाओं के संदर्भ में जनगणना 2011 एवं राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सर्वेक्षण के माध्यम से कामकाजी महिलाओं से सम्बन्धित प्राथमिक सूचनाओं का संकलन किया गया, नगर के प्रत्येक वार्ड से 10–10 कामकाजी महिलाओं का स्तरीय कृत दैव निदर्शन विधि से प्रति चयन किया गया है, प्रति चयनित 10–10 कामकाजी महिलाओं का प्रत्येक वार्डो से साक्षात्कार प्रश्नों की सूची के अनुरूप प्राप्त किया गया है, व्यक्तिगत सर्वेक्षण में आर्थिक दशाओं से सम्बन्धित प्रश्नावली तैयार कर विषय से सम्बन्धित प्रश्न पूछकर आर्थिक दशाओं से सम्बन्धित प्राथमिक आंकड़ों का सृजन किया गया है। प्राप्त प्राथमिक आंकड़ों का सारणीयन कर क्षेत्रीय विश्लेषण करने का प्रयास किया गया। क्षेत्रीय विश्लेषण से स्पष्ट हुआ कि रीवा नगर निगम अन्तर्गत महिला श्रम शक्ति अधिकांशतः कृषि क्षेत्रों में संलग्न पायी गई है। उक्त महिलाएं अकुशल श्रमिकों की श्रेणी में शामिल हैं। कृषि क्षेत्रों में संलग्न अकुशल श्रमिक के रूप में कार्यशील महिलाओं की भागीदारी दर उच्च पायी गई है।

समाज में पुरूषों की अपेक्षा महिलाओं और बच्चों की निम्न जीवन प्रत्याशा दर समाज के विशेष चरित्र को उजागर करती है, लैंगिक अनुपात में भिन्नता में धीरे–धीरे कमी आ रही है, जिसका श्रेय स्वास्थ्य देखरेख के संदर्भ में अनुसंधानों और चिकित्सापक व्यवस्थाओं को दिया जा सकता है। निर्धन परिवारों में कामकाजी महिलाएँ सामान्यतः अपनी बीमारी को इसलिए भी छिपाती है क्योंकि बीमारी से उनके परिवार के क्रियाकलापों अथवा आर्थिक दशाओं पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। साथ ही चिकित्सा पर आर्थिक भार पड़ने से

घर, परिवार की आर्थिक स्थिति और कमजोर होगी।

स्पष्टतः कामकाजी महिला और पुरूष में असमानता, सामाजिक आर्थिक संरचना से जुड़ी हुई है, आर्थिक परिस्थिति से कमजोर एवं निर्धन परिवारों में कामकाजी महिलाएं परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधाार एवं आय में वृद्धि करने में प्रमुख रूप से भरपूर योगदान करती है, कुछ घरों एवं परिवारों में कामकाजी महिलाएँ पुरूषों की अपेक्षाकृत अधिक योगदान करती है।

आर्थिक समीक्षा के अनुसार नगरों की महिलाओं की अपेक्षा ग्रामीण अचंलों में कार्यशील महिलाओं की आर्थिक योगदान में सहभागिता उच्च पायी गई है तथा ग्रामीण कार्यशील महिलाओं का प्रतिशत अधिक है, ग्रामीण क्षेत्रों में 85 प्रतिशत कार्यशील महिलाएं, कृषि कार्य से सम्बन्धित व्यवसायों जैसे–खेतों में काम करना, खलिहानों में भागीदारी निभाना, दुग्ध उत्पादन, पशुपालन आदि व्यवसायों में महत्वपूर्ण सहभागिता निभाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य और सुरक्षा की क्या स्थिति है, यह बात किसी हद तक छिपी हुई नहीं है। वास्तव में कार्यशील महिला श्रमिकों के लिए बेहद प्रतिकूल माहौल में श्रम करना पड़ता हैं और कई बार तो कामकाजी महिलाओं को बलात्कार, आर्थिक शोषण, उत्पीड़न एवं शारीरिक शोषण का भी शिकार होना पड़ता है।

रीवा नगर निगम क्षेत्र में कार्यशील महिलाओं का पारिश्रमिक पुरूषों के औसत पारिश्रमिक का लगभग 80 प्रतिशत पायी गयी, ज्ञात हुई है, जबकि रीवा के ग्रामीण क्षेत्रों में इस समस्या की दर कम पायी गई है, किंतु रीवा के शहरीय क्षेत्र की कामकाजी महिलाओं के लिए आवास समस्या की दर उच्च पायी गई है। इन महिलाओं को आवास समस्या से जूझना पड़ता है। अधिकाशं कामकाजी महिलाएँ अपने सम्पूर्ण परिवार के साथ गन्दी बस्ती, प्रदूषित अथवा मलिन बस्ती, झुग्गी, झोपड़ियों में निवासरत पायी गई है। संगठित क्षेत्र में कामकाजी महिलाओं की तुलना में असंगठित क्षेत्र में कामकाजी महिलाओं की स्थिति अधिक खराब पायी गई है, एक अध्ययन प्रतिवेदन के अनुसार म.प्र. के रीवा नगर की असंगठित क्षेत्र की कामकाजी महिलाओं की स्थिति नर्क से बदतर ज्ञात हुई है, वर्ष 2017 के अध्ययन के अनुसार निम्न आय वर्ग की कामकाजी महिलाओं में 70 प्रतिशत से अधिक महिलाएं, आवास की समस्या से पीड़ित है। शहर के अन्य इलाकों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आने वाली कामकाजी महिलाओं की औसत आमदनी 1500 से 3000 रूपये मासिक होती है। कामकाजी महिलाओं को अपनी आवास सम्बन्धी आवश्यकता पूरी करने के लिए झुग्गी एवं झोपड़ी बनाने के लिए 10 से 15 हजार रूपये तक खर्च करने पड़ते हैं। यह राशि झुग्गी बस्ती के प्रधान और प्रधान की मार्फत पुलिस प्रशासन व नगर पालिका के अधिकारियों को देना पड़ता है।

कामकाजी महिलाएं अपनी आर्थिक स्थिति से अधिक पैसा खर्च करके श्रमिक महिलाएं आवासीय व्यवस्था की दृष्टिकोण से झुग्गी झोपड़ी बना लेती है लेकिन बदले में इनके आवास के लिए दुर्गन्ध अथवा बदबूदार गलियाँ एवं बेहद गंदी सोने के लिए आवास मिल पाता है। कामकाजी महिलाओं की गन्दी बस्तियों में जनसुविधाओं का बहुत अभाव पाया गया है। इनकी बस्तियों में महिलाओं के लिए अनेक उत्पीड़न की गतिवधि तीव्र पाई गई है। गन्दी बस्तियों में निवासरत कामकाजी महिलाओं में शोषण, उत्पीड़न का बारम्बारता अत्याधिक उच्च पायी गयी है। इनके आवास में माहौल अथवा गंदे पर्यावरण का प्रतिकूल प्रभाव दृष्टिगोचर हुआ पाया गया है। कामकाजी महिलाओं के गन्दे व प्रदूषित आवासों, गन्दी बस्तियों में निवासरत अधिकाशं लड़किया मजबूरी में वेश्यावृत्ति के धन्धे को अपना लेती है। मध्यम वर्ग की अध्ययन क्षेत्र में कामकाजी महिलाओं के लिए आवास सम्बन्धी समस्या की दर भी कम नहीं है, यहां की महिलाएँ भी शारीरिक शोषण, आर्थिक कमी एवं उत्पीड़न की समस्या से संघर्ष करती हुई पायी गई है।

शैक्षणिक समस्याएँ व कमी

शिक्षा किसी भी क्षेत्र के समाज में सामाजिक व आर्थिक विकास का प्रतीक मानी जाती है। सामाजिक, राजनैतिक व सांस्कृतिक चेतना महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए उच्च साक्षरता दर और शिक्षा की गुणवत्ता परम आवश्यक है। अध्ययन क्षेत्र रीवा नगर की कामकाजी महिलाएं शिक्षा की दृष्टिकोण से पिछड़ी अवस्था में हैं, कामकाजी महिलाओं की शिक्षा की स्थिति तो बहुत खराब है अध्ययन क्षेत्र मे प्रारम्भिक विद्यालयों में नामांकन कराने वाली कामकाजी महिलाओं की बालिकाओं की संख्या अपेक्षाकृत बहुत कम है, कक्षा 5वीं तक स्कूल छोड़ देने वाली बालिकाओं की संख्या अधिक पायी गई।

वर्ष 2011 की जनगणना में साक्षरता को नये सिरे से परिभाषित किया गया है, नवीन परिभाषा के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी भी भाषा को पढ़–लिखकर समझ सके तो उसे साक्षर की श्रेणी में रखा जाता है किंतु अब ऐसे व्यक्ति को साक्षर नहीं माना जाता है जो केवल पढ़ सकता है किन्तु लिख नहीं सकता है।

वर्ष 1991 से पूर्व पांच वर्ष से कम आयु के बच्चे को अनिवार्य रूप से निरक्षर माना जाता था किंतु 2001 की जनगणना के अनुसार 6 वर्ष की ऊपर की आयु के व्यक्तियों का ही सर्वेक्षण किया गया हैं, उदाहरण के लिए ऐसे अंधे व्यक्ति जो ब्रेन लिपि जानते हैं उन्हें भी साक्षर माना गया है।

शिक्षा को अपने आप में साध्य तथा अन्य वांछनीय लक्ष्यों की पूर्ति का साधन समझा जाता है। शिक्षा के कारण व्यक्ति की बुद्धि का विकास होता है तथा शिक्षा से सर्वांगीण विकास एवं व्यक्तित्व में निखार आता है। शिक्षा के कारण व्यक्ति की सामाजिक व आर्थिक स्थिति तो मजबूत होती है, साथ ही उसमें सांस्कृतिक समझ भी विकसित होती है। शिक्षा के कारण समाजीकरण की प्रक्रिया को गति मिलती है और सम्पूर्ण क्षेत्र के समाज में गतिशीलता आती है यद्यपि समाज के प्रत्येक व्यक्ति और हर एक वर्ग के लिए शिक्षा जरूरी है किंतु कामकाजी महिलाओं के लिए इसका महत्व कुछ अधिक ही है। शिक्षा एक ऐसा सशक्त उपकरण है जो नयी समाज व्यवस्था का सृजन करने के लिए कामकाजी महिलाओं के साथ ही सम्पूर्ण समाज को सक्षम बनाता है।

अतः कामकाजी महिलाओं में शैक्षणिक समस्याएँ व कमी के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी पाये गये हैं –

1. कन्याओं को स्कूल भेजने के प्रति उपेक्षा भाव।
2. युवा लड़कियों पर घर से निकलने पर प्रतिबन्ध।
3. कम उम्र में कन्याओं का विवाह।
4. छोटी उम्र में माँ बनने की जिम्मेदारी का निर्वहन।
5. लड़के और लड़कियों में भेदभाव।
6. कन्याओं के प्रति अध्यापकों का नकारात्मक रवैया।
7. विभिन्न सामाजिक व सांस्कृतिक कारण।
8. पुरूष प्रधान सामाजिक व्यवस्था।
9. महिलाओं में शिक्षा के प्रति चेतना का अभाव।
10. आर्थिक समस्या।
11. सहशिक्षा का अभाव।
12. शैक्षणिक सुविधाओं की कमी।
13. विभिन्न क्षेत्रों में स्कूल, कालेजों की कमी।
14. सरकार की महिला शिक्षा के प्रति उदासीनता।

इस प्रकार अध्ययन क्षेत्र में कामकाजी महिलाओं की प्रगति धीमी

होने के लिए उपरोक्त कारण उत्तरदायी है जिसके कारण कामकाजी महिलाओं की शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, शैक्षणिक कमी के कारण कामकाजी महिलाएं एवं असंगठित क्षेत्र की कार्यशील महिलाएं सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, दृष्टिकोण से आत्मनिर्भर नहीं है तथा ये महिलाएँ उत्पीड़न एवं शारीरिक शोषण का शिकार बनी हुई है। कार्यशील महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार एवं शोषण के लिये सबसे प्रमुख कारण अशिक्षा, अज्ञानता, निरक्षरता परिलक्षित है। यद्यपि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के भाग 5 में धारा 26 से 31 तक निःशक्त व्यक्तियों को विशेषकर महिलाओं को शिक्षा देने का प्रावधान है। अधिनियम के अनुसार प्रत्येक महिलाओं को 18 वर्ष तक की बच्चियों को शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है। एकीकरण को प्रोत्साहन देने के लिए निःशक्त विद्यार्थियों को एवं निःशक्त महिलाओं को स्कूलों में सामान्य शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है, जिन कार्यशील महिलाओं को विशेष शिक्षा की आवश्यकता है उनके लिए सरकारी एवं निजी स्तर पर विद्यालयों की व्यवस्था की गई है, विशेष विद्यालय में व्यावसायिक शिक्षा के संसाधन उपलब्ध कराये जा रहे हैं, किंतु शैक्षणिक कमी, कार्यशील महिलाओं के लिए एक जटिल समस्या है, जिसके चलते उनके व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता है। साथ ही शोध अध्ययन के दौरान यह बात खास तौर पर दृष्टिगत हुई है कि जो कार्यशील महिलाएँ अपेक्षित रूप से शिक्षित नहीं है ऐसी महिलाएँ आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक दृष्टि से काफी पिछड़ी अवस्था में ज्ञात हुई है।

बाल विवाह की कुप्रथा समस्या

अध्ययन क्षेत्र में कामकाजी महिलाओं में बाल विवाह की समस्या अत्यंत गंभीर पायी गई है। रीव नगर में विशेष कर असंगठित क्षेत्र की कार्यशील महिलाओं में यह समस्या अधिक गंभीर पायी गई है। असंगठित क्षेत्र की कार्यशील महिलाओं में इस कुप्रथा की समस्या तीव्र पायी गई है।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 125 के अनुसार तलाकशुदा महिलाएँ अपने पूर्व पति से गुजारा भत्ता हासिल कर सकती है, वास्तव में बहुत सी कार्यशील महिलाओं को तो सिर्फ 200 (दो सौ रू.) या इससे भी कम मिल रहा है। दरअसल जब पांचवे दशक में यह राशि निर्धारित की गई थी तो उस समय इससे अराम के साथ महिलाओं का गुजर–बसर हो सकती थी लेकिन मूल्य सूचकांक से न जुड़ने के कारण मंहगाई कही की कहीं पहुंच गई और अधिकतम गुजारा भत्ता महिलाओं का वही रह गया। यद्यपि कामकाजी महिलाओं को अनेक समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है, अकेले कानून के बूते महिलाओं की दुनिया को नहीं बदला जा सकता है। बाल विवाह की कुप्रथा, दहेज और हिंसा को कुप्रथा से सम्बन्धित कानून कड़े करने की आवश्यकता के लिए जोर दिया जाना चाहिए। यदा कदा बाल विवाह एवं दहेज प्रथा एवं महिलाओं का उत्पीड़न एवं महिला हिंसा से सम्बन्धित कानून में कड़ाई करने के बाद भी इनकी दर में कमी आने के बजाय बढ़ोत्तरी हो रही है, लेकिन यह भी कहा जा सकता है कि यदि ये कानून बनते तो बाल विवाह, दहेज प्रथा और महिला हिंसा की घटनाओं में और भी बढ़ोत्तरी होती, आर्थिक मामलों में कानून खास तौर पर कामकाजी महिलाओं के हित में सार्थक भूमिका का निर्वाहन कर सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कामकाजी महिलाओं को वास्तविक बराबरी और सच्ची आजादी तब तक हासिल नहीं हो सकती जब तक कार्यशील महिलाएँ आत्मनिर्भर नहीं हो जाती है। इसीलिए महिलाओं को कामकाजी होने के साथ–साथ सम्पत्ति के अधिकार में पुरूषों के समान बराबरी का अधिकार दिया जाना अति आवश्यक है।

अध्ययन क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा की स्थिति काफी दयनीय पायी गई है, सरकारों द्वारा समाज में राजनीति के आड़ में सत्ता की लालच में गलत निर्णय लेकर समाज को विखंडित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाहन कर रहे हैं। यद्यपि सामाजिक सुरक्षा का कवच किसी क्षेत्र में भले ही मजबूत क्यों न हो किंतु यह केवल संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों, श्रमिकों एवं कामकाजी महिलाओं तक ही सीमित है। उनमें भी बहुसंख्यक कामकाजी महिलाओं को भविष्य निधि, सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा से वंचित रखा जा रहा है। इसके लिए केवल निजी क्षेत्र के उद्योग एवं संगठन ही उत्तरदायी नहीं है। अपितु सरकारी क्षेत्र में भविष्य निधि जैसी सामाजिक सुरक्षा से कामकाजी श्रमिक महिलाआं को धीरे–धीरे वंचित करने का षडयंत्र औपचारिक रूप से आरम्भ हो चुका है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है जैसे–अध्ययन क्षेत्र में बहुसंख्यक कामकाजी महिलाएँ और उच्च शिक्षा प्राप्त कामकाजी महिलाएँ संविदा नियुक्ति, अतिथि, कर्मचारी, शासकीय एवं अर्द्धशासकीय संस्थानों में अतिथि एवं संविदा शिक्षक आदि।

रीवा नगर निगम क्षेत्र की कामकाजी महिलाओं की सामाजिक स्थिति के मार्ग में एक बड़ी समस्या बाल विवाह एवं बाल श्रम की पाई गई है। कारखाना अथवा पूंजीपतियों, व्यापारियों, होटल मालिक, बाल श्रमिकों को काम में लगाकर किशोरी बालिका, युवतियां एवं बच्चों का शोषण करने की प्रवृत्ति पायी गई है। व्यापारियों, दुकानदारों, नगरीय क्षेत्र में संचालित विभिन्न संस्थानों एवं प्रतिष्ठान के संचालक, किशोर एवं किशोरियों, युवतियों को अथवा बाल श्रमिकों को काम में लगाने में अधिक प्राथमिकता की प्रवृत्ति पायी गई है। इसका कारण यह है कि बाल श्रमिक न्यूनतम मजदूरी पर श्रमिकों से अधिक श्रम करते हैं, और किशोर एवं किशोरियों मालिकों के पूर्ण नियंत्रण में रहकर कार्य करते हैं, साथ ही ऐसे बाल श्रमिकों की बाल्य काल में ही विवाह कर देने में भी अपनी भूमिका अदा करते हैं। साथ ही ऐसे किशोरियों एवं युवतियों को शारीरिक शोषण का शिकार होना पड़ता है। अध्ययन क्षेत्र में बाल विवाह जैसी कुप्रथा के चलते कार्यशील महिलाओं के लिए यह एक जटिल समस्या बन कर प्रकाश में आयी है।

निष्कर्ष

निष्कर्षतः कामकाजी महिलाओं में शैक्षणिक समस्याओं और शिक्षा की कमी की समस्या अध्ययन क्षेत्र में काफी गंभीर है, अशिक्षित होने के कारण कामकाजी महिलाएँ अपने विकास कार्यों से भली भांति परिचित नहीं है, उनकी हर समस्या का प्रमुख कारण अशिक्षा, निरक्षरता के चलते कामकाजी महिलाओं में अज्ञानता की समस्या बनी हुई है, जिसके चलते महिलाएँ शोषण एवं उत्पीड़न की शिकार बनी हुई है।

रीवा नगर निगम कार्यालय क्षेत्राधिकार अन्तर्गत कामकाजी महिलाओं में आर्थिक तंगी, शैक्षणिक समस्याएँ, अशिक्षा, निरक्षरता, अज्ञानता के साथ ही क्षेत्र में बाल विवाह की कुप्रथा प्रचलन में है, सरकार के प्रयास एवं संवैधानिक प्रतिबन्ध के बाद भी बाल विवाह की समस्या से छुटकारा नहीं मिल सका है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव अध्ययन क्षेत्र की संगठित एवं असंगठित क्षेत्र की कामकाजी महिलाओं पर प्रत्यक्ष रूप से दृष्टिगोचर हो रहा है जिसके परिणामस्वरूप कामकाजी महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक एवं समग्र विकास में तीव्रता संभव नहीं हो सकी है।

सन्दर्भ

1. वर्मा, अंजली (2013), भारत में कार्यशील महिलाएँ, द्वितीय

संस्करण, ओमेगा पब्लिकेशन, 4378/4, बी.जी.–4, अंसारी रोड दरियागंज, नई दिल्ली, पृष्ठ 94
2. वर्मा, अंजली (2013), भारत में कार्यशील महिलाएँ, द्वितीय संस्करण, ओमेगा पब्लिकेशन, 4378/4, बी.जी.–4, अंसारी रोड दरियागंज, नई दिल्ली, पृष्ठ 76–77
3. वर्मा, अंजली (2013), भारत में कार्यशील महिलाएँ, द्वितीय संस्करण, ओमेगा पब्लिकेशन, 4378/4, बी.जी.–4, अंसारी रोड दरियागंज, नई दिल्ली, पृष्ठ 54–55
4. वर्मा, अंजली (2013), भारत में कार्यशील महिलाएँ, द्वितीय संस्करण, ओमेगा पब्लिकेशन, 4378/4, बी.जी.–4, अंसारी रोड दरियागंज, नई दिल्ली, पृष्ठ 54–56